न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अखिलेश कुमार पिपल, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 127/2016 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00341

उनवान

1. महेन्द्र सिंह पुत्र श्री घीसाराम जाति गूजर निवासी ग्राम करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हिम्मो पुत्र श्री छोटल्ली जाति गूजर निवासी करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पो0

2. उप पंजीयक तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर।
4. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा नदबई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी नदबई दिनांक 25.02.2016 उनवानी हिम्मो बनाम महेन्द्र सिंह मु0न0 150/2013

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पुरूषोत्तन मुद्गल उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 22.09.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई के आदेश दिनांक 25.02.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/असल रैस्पो0 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट एवं तरतीवी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 2087 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम करीली तहसील नदबई में स्थित है जो रिकार्ड जमाबंदी संवत 2060 लगायत 2069 खाता संख्या 87 से सिद्ध है। विवादित आराजी वादी असल रैस्पो0 ने जरिये वयनामा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दिनांक 15.07.2009 को 80000 रूपये में क्रय किया था एवं वक्त खरीद से ही वादी असल रैस्पो0 विवादित आराजी पर काबिज होकर व हैसियत खातेदार काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु उसका दाखिला खारिज नहीं हो सका। विक्रेता की मृत्यु होने के कारण उसका दाखिला विरासतन उनके वारिसान के नाम हो गया। अतः वादी विवादित आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा पाने का अधिकारी है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवदेन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। विवादित आराजी का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं काबिज हैं। विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसे अपीलाण्ट ने विरासत में प्राप्त किया है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है एवं ना ही उनका विवादित आराजी पर कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट के पिता ने विवादित आराजी को रैस्पो0 के पक्ष में कभी विक्रय नहीं किया एवं ना ही उन्हें विवादित आराजी को विक्रय करने का अधिकार हासिल था। क्योंकि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। इसलिये तथाकथित विक्रय पत्र कूटरचित एवं बनावटी है एवं साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने कूटरचित विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं दिया। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। वयनामा 2009 का है एवं रैस्पो0 ने दावा 2013 में प्रस्तुत किया। इतने सालो तक रैस्पो0 ने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी एवं अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के बाद ही दावा प्रस्तुत क्यों किया गया। इससे साबित है कि वयनामा कूटरचित एवं फर्जी है। अंत में अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाण्ट के पिता ने रैस्पो0 के पक्ष में दिनांक 15.07.2009 को विवादित आराजी का वयनामा कराया था। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। परन्तु उनके द्वारा कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात् काफी समय देने के उपरान्त उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अतः अपीलाण्ट का यह कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का मौका नहीं दिया, झूठा व निराधार है। वयनामा में स्पष्ट उल्लेख है कि विवादित आराजी पर कब्जा दे दिया है। विवादित आराजी का रैस्पो0 वर्तमान में खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। जब विवादित आराजी का विक्रय हो चुका है तो अपीलाण्ट के नाम नामान्तकरण कैसे खुल सकता है। यदि वयनामा फर्जी एवं कूटरचित है तो सिविल कोर्ट में अपीलाण्ट उसे चुनौती देते। परन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। विवादित आराजी पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हस्तगत अपील में अपीलाण्ट की प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें सुनवाई का मौका नहीं दिया एवं कथित विक्रय पत्र कूटरचित दस्तावेज हैं, जो बिना प्रतिफल दिये रजिस्टर्ड कराया गया है। हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07.01.2015 को प्रतिवादी अपीलाण्ट की तलवी हो चुकी थी एवं उनके द्वारा नियुक्त अभिभाषक श्री भगवान सिंह फौजदार न्यायालय में उपस्थित रहें हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी अपीलाण्ट को दिनांक 07.01.2015 से 25.01.2016 तक जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय भी दिया गया है। परन्तु उनके द्वारा लगभग एक साल बीत जाने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब बंद किया गया है। अतः अपीलाण्ट की यह आपत्ति की उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई अवसर नहीं मिला, सत्यभाषी नहीं माना जा सकता। जहॉ तक अपीलाण्ट की अन्य आपत्ति की कथित विक्रय पत्र कूटरचित एवं बिना प्रतिफल दिये कराया गया है, का प्रश्न है। हम पाते हैं कि यदि अपीलाण्ट कथित विक्रय पत्र को कूटरचित होना मानते हैं, तो उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 15.07.2009 से आदिनांक तक सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गयी हो, ऐसा भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य ना तो अधीनस्थ न्यायालय में एवं ना ही हस्तगत अपील में ही प्रस्तुत किया गया है। यदि कथित विक्रय पत्र कूटरचित था, तो उन्हें उसे निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चुनौती दिया जाना आवश्यक था। विक्रय पत्र का कूटरचित होना एवं बिना प्रतिफल दिये कराये जाने की दलील से, अपीलाण्ट राजस्व न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपने हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय दिनांक 25.02.2016 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 22.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

22.09.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

डिकरी व सीगे अपील
(ऑर्डर 41 , रूल 35, जाब्ता दीबानी)
(Civil Procedure Code,Appendix D&1)
अज अदालत **राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर** मुकाम **भरतपुर**
व इजलास श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या 127/2016 (223 आर.टी.एक्ट)
आर.सी.एम.एस.नम्बर– 2016/00341
उनवानी :–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र घीसाराम जाति गूजर निवासी ग्राम करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर ।

.....अपीलांट।

बनाम

1. हिम्मो पुत्र छोटल्ली जाति गूजर निवासी ग्राम करीली तहसील नदबई जिला भरतपुर बगैराह **(विस्तृत उनवान पृष्ठ पर अंकित है)**

..... रैस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 25.02.2016 प्रकरण संख्या 150/2013 उनवान हिम्मो बनाम महेन्द्र सिह न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई।

यह अपील .....22.....माह.....09.....सन्.....2023.....व हमारे .....श्री महाराज सिंह डागुर एड. ..... मिनजानिब अपीलाण्ट , श्री पुरूषोत्तम मुद्गल एड. रैस्पोडेण्ट उपस्थित समायत के लिये पेश होकर यह हुक्म है कि... **अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नदबई के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.02.2016 यथावत रखें जाते हैं।**
(खर्चा अपील.....का हस्य तफसील जेर तादादी जेर तादादी मुबलिग.....) रूपये.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मुबलिग का.....अदा करें।
वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....22.....माह.....09.....सन्.....2023.....को जारी की गई।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उनवानी :–

1. महेन्द्र सिंह पुत्र घीसाराम जाति गूजर निवासी ग्राम करीली तहसील नदवई जिला भरतपुर ।

..... अपीलांट।

बनाम

1. हिम्मो पुत्र छोटल्ली जाति गूजर निवासी ग्राम करीली तहसील नदवई जिला भरतपुर ।

.....अस्ल रैस्पो0

2. उप पंजीयक तहसील नदवई जिला भरतपुर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदवई जिला भरतपुर।
4. शाखा प्रवन्धक एसवीआई शाखा नदवई जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेण्ट।

(अखिलेश कुमार पिपल)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर